निर्णय बइजलास श्री अभिषेक चारण आर.ए.एस. उपखण्ड अधिकारी मनोहरथाना जिला झालावाड राजस्थान

प्रकरण संख्या 112/दावा/17 तारीख दायरा 12.09.2017

ऑनलाइन प्रकरण संख्याः 00073/2017

उनवान

1. भंवरलाल वल्द रामसिंह जाति तंवर निवासी ताजपुरिया तहसील मनोहरथाना

—वादी

बनाम

1. मांगीलाल वल्द देवीराम जाति तंवर निवासी ताजपुरिया तहसील मनोहरथाना
2. धीरप सिंह वल्द देवीराम जाति तंवर निवासी ताजपुरिया तहसील मनोहरथाना
3. भारत सिंह वल्द देवीराम जाति तंवर निवासी ताजपुरिया तहसील मनोहरथाना
4. शंकर लाल वल्द देवीराम जाति तंवर निवासी ताजपुरिया तहसील मनोहरथाना

— **प्रतिवादी**

वाद धारा 183 आर.टी.एक्ट

उपस्थिति :—श्री अनूप खण्डेलवाल अधिवक्ता वादी

निर्णय

दिनांक 24.06.2022

संक्षेप मे वाद के तथ्य इस प्रकार से है कि वादी ने जर्ये अधिवक्ता श्री अनूप खण्डेलवाल वाद धारा 183 रा.टी. एक्ट के अन्तर्गत इस आशय का पेश किया कि ग्राम ताजपुरिया पटवार हल्का छोडलिया तहसील मनोहरथाना के माल में खाता संख्या नया 62 पुरानी 4 की खसरा नम्बर 44 की 5 बीघा 17 बिस्वा आराजी वादी एवं अन्य सहखातेदारान के भाामिल खाते में दर्ज है। वर्णित आराजी में से करीबन 1 बीघा भुमि पर प्रतिवादीगण 1 लगायत 4 ने अर्सा 10—12 दिन पहले जबरन आराजी पर कब्जा कर लिया है जिसका कि प्रतिवादी गण को कोई हक एवं अधिकार नही है जो बेहैसियत अतिक्रमी एवं बेदखल होने योग्य है। वर्णित आराजी में मुझ वादी को अपार क्षति हुई है। जिसका कि प्रतिवादीगण को कोई अधिकार नही है ओर ना ही प्रतिवादीगण के खाते में भी नाम दर्ज नही है फिर भी उक्त आराजी पर जबरन कब्जा किए हुए है जिन्हें बेदखल कर कब्जा आराजी नापकर वादी को संभलाया जावे। इस आशय बावत वाद डिक्री किया जावे।

वाद दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को सुनवाई का अवसर प्रदान किया गया। प्रतिवादी नम्बर 1 की ओर से वकील श्री कैलाशचन्द वैष्णव द्वारा वकालत नामा दिनांक 2/1/18 को पेश किया किन्तू आज दिनाक तक भी जवाब प्रस्तुत नही करने के फलस्वरूप जवाब वन्द किया जाता है इसी प्रकार प्रतिवादी 2 ता 4 वावजूद सूचना अनुपस्थित होने से इनके विरूद्व एकतरफा कार्यवाही अमल मे लाई गई। वकील वादी की बहस सुनी गई। वकील वादी का कथन है कि ग्राम ताजपुरिया पटवार हल्का छोडलिया तहसील मनोहरथाना के माल में खाता सख्या नया 62 पुरानी 4 की खसरा नम्बर 44 की 5 बीघा 17 बिस्वा आराजी वादी एवं अन्य राहखातेदारान के शामिल खाते मे दर्ज है। वर्णित आराजी मे से करीबन 1 बीघा भुमि पर प्रतिवादीगण 1 लगायत 4 ने अर्सा 10–12 दिन पहले जबरन आराजी पर कब्जा कर लिया है। अत प्रतिवादीगण 1 ता 4 को उक्त वर्णित आराजी से बेदखल कर कब्जा आराजी नापकर वादी को सभलाया जावे।

पत्रावली पर उपलब्ध रिकार्ड का अवलोकन किया गया वर्णित आराजी वादी की खातेदारी आराजी है जिसपर प्रतिवादीगण का कब्जा बहैसियत है। वाद के प्रमाण मे नकल जमाबन्दी ग्राम ताजपुरिया सवत 2071–74 की खाता सख्या नया 62 पुरानी 4 प्रस्तुत की गई है जिसके अवलोकन से वाद वादी डिकी किये जाने योग्य है।

अत वाद वादी डिकी किया जाकर आदेश दिया जाता है कि ग्राम ताजपुरिया पटवार हल्का छोडलिया तहसील मनोहरथाना के माल में खाता सख्या नया 62 पुरानी 4 की खसरा नम्बर 44 की 5 बीघा 17 बिस्वा आराजी मे से 1.00 बीघा को नाप कर बाद नाप यदि प्रतिवादीगण का कब्जा पाया जाता है तो वर्णित आराजी से प्रतिवादीगण 1 लगायत 4 को बेदखल किया जाकर कब्जा आराजी वादी को नापकर संभलाया जावे। डिकी जारी की जावे।

निर्णय आज दिनांक 24.06.2022 सरे इजलास में सुनवाया गया।

(श्री अभिषेक चारण आर०ए०एस)
उपखण्ड अधिकारी मनोहरथाना

उपखण्ड अधिकारी
मनोहरथाना, जिला झालावाड़

डिकी मुकद्मात इब्तदाई
(ओ0 20 रूल 6–7 जाप्ता दीवानी)

बइजलास श्री अभिषेक चारण आर.ए.एस. उपखण्ड अधिकारी मनोहरथाना जिला झालावाड राजस्थान

प्रकरण संख्या 112 / दावा / 17 तारीख दायरा 12.09.2017

ऑनलाइन प्रकरण संख्याः 00073 / 2017

उनवान

1. भंवरलाल वल्द रामसिंह जाति तंवर निवासी ताजपुरिया तहसील मनोहरथाना

–वादी

बनाम

1. मांगीलाल वल्द देवीराम जाति तंवर निवासी ताजपुरिया तहसील मनोहरथाना
2. धीरप सिंह वल्द देवीराम जाति तंवर निवासी ताजपुरिया तहसील मनोहरथाना
3. भारत सिंह वल्द देवीराम जाति तंवर निवासी ताजपुरिया तहसील मनोहरथाना
4. शंकर लाल वल्द देवीराम जाति तंवर निवासी ताजपुरिया तहसील मनोहरथाना

– प्रतिवादी

वाद धारा 183 आर.टी.एक्ट

आज यह मुकदमा वास्ते इन फिसाल कतई रूबरू मुझ अभिषेक चारण (आर0ए0एस0) बहाजरी वकील वादी श्री अनूप खण्डेलवाल मिन जानिब मुद्दालय -------- ने पेश होकर आदेश दिया जाता है कि:–

ग्राम ताजपुरिया पटवार हल्का छोडलिया तहसील मनोहरथाना के माल में खाता संख्या नया 62 पुरानी 4 की खसरा नम्बर 44 की 5 बीघा 17 बिस्वा आराजी मे से 1.00 बीघा को नाप कर बाद नाप यदि प्रतिवादीगण का कब्जा पाया जाता है तो वर्णित आराजी से प्रतिवादीगण 1 लगायत 4 को बेदखल किया जाकर कब्जा आराजी वादी को नापकर संभलाया जावे।

आज दिनांक 24.06.2022 को हमारे हस्ताक्षर एवं न्यायालय मुद्रांक से जारी कि गई।

(श्री अभिषेक चारण आर.ए.एस)
उपखण्ड अधिकारी, मनोहरथाना

उपखण्ड अधिकारी
मनोहरथाना, जिला झालावाड़